



मुजफ्फरनगर पुलिस

प्रेस नोट

सराहनीय कार्य थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फर नगर

थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित चल रहे दो अभि०गण को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार जनपद मुजफ्फरनगर में अपराधों की रोकथाम हेतु वांछित/वारण्टी अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धर पकड़ अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के पर्यवेक्षण व श्रीमान थानाध्यक्ष पुरकाजी के कुशल नेतृत्व में थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा सम्बन्धित मु०अ०सं०- 129/2026 धारा -103(1)/109(1) /333 /351(3)/3(5) बी०एन०एस० के वांछित अभि०गण 1. दीपचन्द पुत्र महेन्द्र 2. अंशुल पुत्र दीपचन्द निवासीगण ग्राम नूरनगर थाना पुरकाजी जनपद मु०नगर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

घटना का विवरण:- दिनांक 04.08.2026 को वादी अंकित चौधरी पुत्र श्री स्व० कृष्णपाल निवासी ग्राम नूरनगर थाना पुरकाजी जनपद मु०नगर ने अपने परिजनों के साथ थाना हाजा एक तहरीर दी कि 1.. दीपचन्द पुत्र महेन्द्र 2. अंशुल पुत्र दीपचन्द 3. जोनू उर्फ प्रताप पुत्र दीपचन्द निवासीगण ग्राम नूरनगर थाना पुरकाजी जनपद मु०नगर के द्वारा एक राय होकर अपने हाथों में बन्दूक व देशी तमंचे लेकर लहराते हुए हमारे घर में घुसकर वादी व वादी के पिता कृष्णपाल व वादी के भाई मोहित पर जान से मारने की नियत से हमला किया व अभि०गण द्वारा अपने हाथों में लिये बन्दूक व तमंचों से वादी व वादी के परिजनों पर अंधाधुंध गोली चला देना जिससे से एक गोली वादी के पिता कृष्णपाल के सीने में लग जाना जिससे कृष्णपाल का लुहलुहान होकर वही जमीन पर गिर जाना। अभि०गण द्वारा वादी के पिता कृष्णपाल को जमीन पर गिरा हुआ देख अभि०गण वादी व वादी के परिवार जन को जान से मारने की धमकी देकर भाग जाना। अंकित व परिवार वालों द्वारा कृष्णपाल को ईलाज हेतु पुरकाजी अस्पताल में ले जाना जहां डाक्टरों द्वारा कृष्णपाल को मृत घोषित कर देने के सम्बन्ध में लाकर दाखिल किया। तत्काल कार्यवाही करते हुए वादी की तहरीर पर मु०अ०सं०- 129/2026 धारा - 103(1)/109(1) /333 /351(3)/3(5) बी०एन०एस० के वांछित अभि०गण 1. दीपचन्द पुत्र महेन्द्र 2. अंशुल पुत्र दीपचन्द 3. जोनू उर्फ प्रताप पुत्र दीपचन्द निवासीगण ग्राम नूरनगर थाना पुरकाजी जनपद मु०नगर पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना स्वयं थानाध्यक्ष महोदय द्वारा ग्रहण की गयी। अभि०गणों की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर से टीमों का गठन किया गया। आज दिनांक 05.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभि०गण 1 दीपचन्द पुत्र महेन्द्र 2. अंशुल पुत्र दीपचन्द निवासीगण ग्राम नूरनगर थाना पुरकाजी जनपद मु०नगर को ग्राम नूरनगर बाईपास से ग्राम मारकपुर जाने वाले रास्ते पर कालू सिंह की समाधी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभि०गण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है।

तस्करा पूछताछ – अभि०गण 1.दीपचन्द पुत्र महेन्द्र नि०ग्राम नूरनगर थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर, 2. अंशुल पुत्र दीपचन्द निवासीगण ग्राम नूरनगर थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर से मुकदमा उपरोक्त के घटना के सम्बन्ध मे तसल्ली देकर पूछताछ की गई तो अभियुक्त दीपचन्द उपरोक्त ने बताया कि सहाब मेरा अपने सगे भाई कृष्णपाल पुत्र महेन्द्र नि०ग्राम नूरनगर थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर से खेती की जमीन के बँटवारे को लेकर आपस मे विवाद चल रहा था । दिनांक 03.08.2026 को गाँव मे दोनो भाईयो के मध्य जमीन के बँटवारे को लेकर आपसी मे कहासुनी हो गई जिसमे हम दोनो परिवार के लोग भी आ गये । विवाद काफी बढ़ गया हम दोनो ने अपने पास लिए लाईसेन्सी शस्त्र, अवैध शस्त्र से कृष्णपाल व उसके बेटो पर फायरिंग की जिसमे से एक गोली मेरे भाई कृष्णपाल को लगी जो वही घायल होकर जमीन पर गिर गया जिसको घायल देकर हम वहाँ से धमकी देकर भागे थे। साहब आज अपने हम दोनो से जो अस्लाह बरामद किये है उनसे अंशुल उपरोक्त द्वारा लाईसेन्सी बन्दूक (12 बोर) से कृष्णपाल के ऊपर गोली चलायी थी। तथा मैने अपने पास लिये तमंचे 315 बोर से घटना मे फायर किये थे। साहब गलती हो गयी गुस्से मे हमने यह घटना की थी। हमे माफ करे ।

***अभियुक्त का नाम व पता**

01. दीपचन्द पुत्र महेन्द्र उम्र 68 वर्ष

2. अंशुल पुत्र दीपचन्द निवासीगण ग्राम नूरनगर थाना पुरकाजी जनपद मु०नगर उम्र 34 वर्ष

अपराध का विवरण---

मु०अ०स०- 129/2026 धारा -103(1)/109(1)/333/351(3)/3(5) बीएनएस 3/25/27/30 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तारी का स्थान-

ग्राम नूरनगर बाईपास से ग्राम मारकपुर जाने वाले रास्ते पर कालू सिंह की समाधी के पास

गिरफ्तारी का दिनांक-

दिनांक 05.08.2026 समय 08.20 बजे

गिरफ्तारी करने वाली टीम--

01. थानाध्यक्ष डॉ० मानवेन्द्र सिंह भाटी

2. व०उ०नि० श्री सुरेन्द्र सिंह

3.उ०नि० श्री मोहित नन्दन (चौकी प्रभारी भैसानी)

4.उ०नि० श्री नवीन कुमार (चौकी प्रभारी धमात)

5. का० 2185 रामप्रकाश

थानाध्यक्ष

थाना पुरकाजी मु०नगर